



2026:AHC:128990

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 25150/2026

श्रीमती प्रीति निगम और दो अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: धीरज कुमार द्विवेदी

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता

: अक्षय कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आवेदकों, जिनकी संख्या तीन है, के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार द्विवेदी के साथ ही साथ राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ज्योति सिंह एवं विरोधी पक्षकार संख्या 2 के लिए श्री अक्षय कुमार श्रीवास्तव हैं।

2. यह आवेदन बीएनएसएस की धारा 528 के तहत परिवाद मामला संख्या 342/2021 (श्रीमती शिप्रा निगम बनाम आशीष निगम और अन्य), भा.दं.सं की धाराओं 323, 504, 506, 452, 427, पुलिस थाना घाटमपुर, जिला कानपुर नगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 21.06.2022 के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए दाखिल किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि विरोधी पक्षकार संख्या 2, जो कि आवेदक संख्या 2 की पत्नी हैं, द्वारा दिनांक 06.02.2021 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक परिवाद दर्ज कराया गया था, और जिसमें आवेदक संख्या 1 और 3 ननदें हैं।

अभिकथन यह है कि विरोधी पक्षकार संख्या 2 का विवाह आवेदक संख्या 2 के साथ संपन्न हुआ था। हालांकि, वैवाहिक विवाद के उपरांत दिनांक 14.03.2020 को जब विरोधी पक्षकार संख्या 2 अपने मायके में थीं, तब आवेदकों ने एक गिरोह के रूप में काम किया और विरोधी पक्षकार संख्या 2 के मायके गए और तत्पश्चात उसे चोटें पहुंचाई तथा गाली-गलौज किया। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि विरोधी पक्षकार संख्या 2 वैवाहिक घर छोड़ने के पश्चात अपनी स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही हैं, तथा उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के साथ घनिष्ठता और संबंध भी विकसित कर लिए हैं।

4. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि समन आदेश को विशेष रूप से तब कायम नहीं रखा जा सकता जब वह विधि के अनुसार न हो क्योंकि मामले से संबंधित तथ्यों के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक संख्या 2 पति है। वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को चुनौती दी है तथा आवेदक संख्या 1 और 3, ननद होने के नाते, **गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2012 (10) एससीसी 741** के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए संरक्षण प्राप्त करने की हकदार हैं।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि मुकदमा अपराध संख्या 854/2019 से संबंधित भा.दं.सं की धाराओं 498क, 323, 504, 506 सहपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्यवाही में, यहां पर आवेदकों ने धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 522/2022 दाखिल कर इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसमें उन्हें दिनांक 21.02.2022 को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि घटना दिनांक 14.03.2020 की है, लेकिन परिवाद दिनांक 06.02.2021 को दर्ज कराया गया है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और साथ ही विरोधी पक्षकार संख्या 2 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि चाहे जो भी हो, समन आदेश दिनांक 21.06.2022 का है और वर्तमान आवेदन दिनांक 10.06.2026 को प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है। प्रस्तुति यह है कि लगभग चार वर्ष के विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि केवल इसलिए कि आवेदक संख्या 1 और 3 ननदें हैं और वे विवाहित हैं, उन्हें निर्दोष मानने का आधार नहीं होगा, विशेष रूप से तब जब अभिकथन यह है कि एक निश्चित तिथि यानी 14.03.2020 को परिवादी के मायके में हमला किया गया था।

7. मैंने न्यायालय के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

8. वर्तमान कार्यवाही में निर्धारण के लिए उठने वाला एकमात्र प्रश्न इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा का है। प्रत्यक्ष तौर पर, आवेदक ननद और विरोधी पक्षकार संख्या 2 के पति हैं। विरोधी पक्षकार संख्या 2 का अभिकथन है कि दिनांक 14.03.2020 को उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमला किया और गालियां दी गईं, तथा परिवाद दिनांक 06.02.2021 को दर्ज कराया गया था। यह प्रश्न कि क्या परिवाद दाखिल करने में कोई विलंब हुआ है, तथ्य और विधि का एक मिश्रित प्रश्न है, जिस पर विचार परीक्षण शुरू होने पर किया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त, केवल इसलिए कि आवेदक संख्या 1 और 3 ननदें हैं, वे संरक्षण की हकदार होंगी, विशेष रूप से तब जब यह देखा जाना है कि अभिकथन की प्रकृति क्या है और अभिकथन यह है कि 14.03.2020 को आवेदकों ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 के मायके में जबरन प्रवेश किया और चोटें पहुंचाईं। वास्तव में, इस न्यायालय को बीएनएसएस की धारा 528 के तहत कार्यवाही में मामले के गुणागुण की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह परीक्षण की विषय-वस्तु है, और न्यायालय पहले से कोई धारणा नहीं बना सकता है। इसके अलावा, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी अधिकारिता संबंधी त्रुटि को इंगित नहीं किया गया है, और इसके अतिरिक्त, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों की तुलना में धारा 200 और 202 के तहत दिए गए कथनों में कोई अंतर्विरोध नहीं है।

9. तदनुसार, हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है। आवेदन को इस छूट के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि आवेदक संख्या 1 और 3 परीक्षण का सामना करें और जमानत के लिए आवेदन करें, तथा यदि जमानत पर रिहाई की मांग करने वाला कोई समुचित आवेदन दाखिल किया जाता है, तो न्यायालय के पास अविश्वास करने



का कोई कारण नहीं है कि उस पर देश की विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।
तथापि, आवेदक सभी विधिक और तथ्यात्मक विवाद्यों को उठाने तथा अपने इस पक्ष को सिद्ध करने के लिए हमेशा खुले हैं कि वे निर्दोष हैं, और इस न्यायालय के पास अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि निचले न्यायालय इस पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे।

10. वर्तमान आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।